



SHRI MOTI SMRITI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Affiliated to Board of Technical Education U.P. & Approved by AICTE, New Delhi

Adalpur Taj, Kailsa Road Amroha (U.P.)- 244221

Mob: 9756518576 , 8192886476 , E-mail : smsit2015@gmail.com

Ref No.....

Dated:.....

प्रवेश प्रक्रिया 2024-25

-पॉलिटैक्निक-

क्र०	कैटेगरी	संस्था ट्यूशन फीस	सत्र 2024.25 हेतू संस्था शुल्क परीक्षा सहित फीस प्रति वर्ष	छात्र के द्वारा शुल्क प्रति सेमेस्टर के द्वारा जमा करने की सुविधा होगी । यदि वह जमा करने में सक्षम नहीं है । अथवा लेटरल प्रवेश प्रति सेमेस्टर सम्पूर्ण शुल्क जमा	राज्य सरकार द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित शुल्क ही लिया जायेगा अन्यथा कॉलम 4 के अनुसार ही छात्र से शुल्क लिया जायेगा ।	संयुक्त प्रवेश परीक्षा व काउंसलिंग
1	2	3	4	5	6	7
पॉलिटैक्निक						
1.	अनुसूचित जाति	30150/-	20000/- परीक्षा शुल्क सहित	10000/- प्रति सेमेस्टर	30150/- कॉलम 4 का शुल्क पूरा होने के बाद शेष शुल्क लगभग 10000रु0 छात्रवृत्ति से पूरा किया जायेगा ।	यदि छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त प्रवेश होता है उसको राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की संभावनाये ज्यादा होती हैं ।
2.	सामान्य वर्ग	30150/-	25000/- परीक्षा शुल्क सहित	12500/- प्रति सेमेस्टर	सत्र 2024 - 25 में सामान्य वर्ग के छात्र छात्रवृत्ति हेतू पात्र नहीं होंगे ।	यदि छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त प्रवेश होता है उसको प्राविधिक शिक्षा परिषद् में प्राथमिकता पर प्रवेश दिया जायेगा ।
3.	अन्य पिछडा वर्ग	30150/-	25000/- परीक्षा शुल्क सहित	12500/- प्रति सेमेस्टर	यदि छात्र कॉलम 4 का शुल्क समय से जमा नहीं करता है और उस छात्र की छात्रवृत्ति मिलने पर बकाया शुल्क छात्रवृत्ति से कॉलम 4 के अनुसार जमा करने के लिये बाध्य होगा ।	यदि छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त प्रवेश होता है उसको राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की संभावनाये ज्यादा होती हैं ।
4.	अल्पसंख्यक वर्ग	30150/-	25000/- परीक्षा शुल्क सहित	12500/- प्रति सेमेस्टर	यदि छात्र कॉलम 4 का शुल्क समय से जमा नहीं करता है और उस छात्र की छात्रवृत्ति मिलने पर बकाया शुल्क छात्रवृत्ति से कॉलम 4 के अनुसार जमा करने के लिये बाध्य होगा ।	यदि छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त प्रवेश होता है उसको राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की संभावनाये ज्यादा होती हैं ।
5.	पॉलिटैक्निक लेटरल द्वितीय वर्ष	30150/-	25000/- परीक्षा शुल्क सहित	12500/- प्रति सेमेस्टर	छात्र छात्रवृत्ति हेतू पात्र नहीं होंगे । यदि कोई संसोधन आता है तो छात्रों को सूचित कर दिया जायेगा ।	यदि छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त प्रवेश होता है उसको प्राविधिक शिक्षा परिषद् में प्राथमिकता पर प्रवेश

	प्रवेश समस्त ब्रांच					दिया जायेगा ।
आई0टी0आई0						
1	2	3	4	5	6	7
6.	इलैक्ट्रीशन सभी वर्ग	18000/-	20000/- परीक्षा शुल्क सहित	20000/- प्रति वर्ष	यदि छात्र कॉलम 4 का शुल्क समय से जमा नहीं करता है और उस छात्र की छात्रवृत्ति मिलने पर बकाया शुल्क छात्रवृत्ति से कॉलम 4 के अनुसार जमा करने के लिये बाध्य होगा ।	यदि छात्र प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होता है उसको राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की संभावनाये ज्यादा होती हैं ।
7.	फीटर सभी वर्ग	18000/-	14000/- परीक्षा शुल्क सहित	15000/- प्रति वर्ष	कॉलम 4 का शुल्क पूरा होने के बाद शेष शुल्क कॉलम 3 के अनुसार लगभग 5000रु0 छात्रवृत्ति से पूरा किया जायेगा ।	यदि छात्र प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होता है उसको राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की संभावनाये ज्यादा होती हैं ।
8.	कोपा / एच0 एस0 आई0 सभी वर्ग	15000/-	5000/- परीक्षा शुल्क सहित	5000/- प्रति वर्ष	कॉलम 4 का शुल्क पूरा होने के बाद शेष शुल्क कॉलम 3 के अनुसार लगभग 10000 रु0 छात्रवृत्ति से पूरा किया जायेगा ।	यदि छात्र प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होता है उसको राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की संभावनाये ज्यादा होती हैं ।

Note- Admission through JEECUP Counselling first Payment submitt on admission counselling minimum 15000 rupee are compulsary for every student.

Principal

Sequencing of Admission File :

It is to be arranged in the following sequence:

Preliminaries	Annexure
Minimum Education Qualification Document 10 th / 12 th Marksheet , TC , Aadhar Card , 4 Passport Photograph , Phone Number and E- Mail ID	Attachment
Admission Form Computerized	Annexure I
Bonofide Certificate	Annexure II
Undertaking Fees Acceptance SC , OBC, Min	Annexure III
Undertaking Rules and Regulation and Attandance 75 %	Annexure IV
Undertaking Scholarship Bond	Annexure V
Affidavitt 10/-	Annexure VI (if Possible)
APPENDICES	
Others	Appendix C
Debit Authority Signed in 6 copy	If Possible
3 - Blank Cheque With Sign	If Possible
Aadhar seeded with NPCI Account	
Fine Charge As – Attandance Less than 75 %	10/- Per Day
Fine Charge Absent in CT Exam	500/- CT
Fine Charge Absent in Practical Exam Internal and External Both	1000/- Semester



SHRI MOTI SMRITI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Affiliated to Board of Technical Education U.P. & Approved by AICTE, New Delhi

Adalpur Taj, Kailsa Road Amroha (U.P.)- 244221

Mob: 9756518576 , 8192886476 , E-mail : smsit2015@gmail.com


Ref No.....

Dated:.....

BONAFIDE STUDENT CERTIFICATE

This is to certify that.....Son/Daughter/Ward of
..... , Date of Birth is a bonafide student of
SHRI MOTI SMRITI INSTITUTE OF TECNOLOGY ADALPUR TAJ KAILS
ROAD AMROHA , UP - 244221

He / She is studying in DIPLOMA ENGG/ITI.
Course in the current Academic Year 2024-25.



PRINCIPAL

Undertaking of Fees Acceptance By Student

I hereby declare that I accept all the terms and condition .

Fees	Amount in Rs.	Fees	Student Signature with date
Tution Fees / Annum			
Exam Fees / Annum		Exam time	
Late fees Fine	500 /-		
Dress Fine	100 /-		

Note - Admission through JEECUP Counselling First time payment will be submitted by student according to counselling online fee.

Student's Signature

Parent's Signature

Contact No

Date.

Counter Sign by Admission Incharge

UNDERTAKING BY STUDENT AND PARENTS

1. Students must be regular and punctual in the class.
2. Students must be maintain perfect order and silence in the lecture halls, laboratories and workshop.
3. A minimum 75% attendance in each semester is must.
4. Students will get prior written permission before absenting the class.
5. Students must wear college uniform with black shoes.
6. The students will take the all lecture as per time-table and in contact with their **class OC**; class OC will advise the students on academic and other activities.
7. Use of mobile phones is strictly prohibited in the class. They can carry their mobile phone in silent mode.
8. **Ragging** in the college campus is banned as per the order of **Supreme Court**.
9. The students, who come with their motor bike, must wear Helmet and Carry proper driving license.
10. Parents and visitors are permitted to meet their children only after the lecture period and after taking permission from the principal.
11. Students are not allowed to leave the college without permission in working hours of the college.
12. **Smoking** and use of **Tobacco** is strictly prohibited in college campus. If any student will be caught then he will be punished & have to pay Rs. 500 as fine.

I hereby declare that I accept all the terms and condition .

Student's Signature

Parent's Signature

Contact No

Date.

Counter Sign by Admission Incharge

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक.....को (1) कु0/श्रीमती/श्री..... पुत्री/पत्नी/पुत्र श्रीजाति.....निवासी ग्राम/मु0 डाकखाना तहसील.....जिला जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है। एवं (2) अमित कुमार प्राचार्य श्री मोती स्मृति इं0 ऑफ टैक्नोलॉजी पता – अदलपुरताज कैलसा रोड अमरोहा जनपद– अमरोहा (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, उसके मध्य निष्पादित किया जाता है।

1. प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर संस्था का निर्धारित शुल्क यदि छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता है और छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित है तब छात्र का प्रवेश रु0 से संस्था द्वितीय पक्ष प्रवेश दिलायेगा और छात्र अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतू पात्र है तो प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति), की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 10 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के संस्था में करेगा।
2. यदि छात्र सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक से सम्बन्ध रखता है तो तब छात्र का प्रवेश रु0 से प्रवेश पायेगा और छात्र अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतू पात्र है तो प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति), की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 10 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के संस्था में जमा करेगा।
3. यदि छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता है और छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं है तब छात्र को सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ट्यूशन शुल्क 30150 रु0 में संस्था में स्वयं जमा करना होगा।
4. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
5. उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली, 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष: छात्र हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष: संस्था हस्ताक्षर

नाम

नाम व पदनाम

घोषणा पत्र (छात्र / छात्रा द्वारा)

मैंपुत्र/पुत्री श्री.....निवासी
.....का हूँ मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैंने श्री
मोती स्मृति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक/आई0 टी0 आई0 की
...शाखा में प्रवेश लिया है प्रवेश शुल्क संस्था द्वारारु0 प्रतिवर्ष जमा किया जा
रहा है (जिसे मुझे स्वयं जमा करना है) यदि मेरे द्वारा संस्था का प्रवेश शुल्क समय से जमा
नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार व शासनादेश अनुसार उक्त धनराशि शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप
में जब भी मेरे खाते में अन्वित की जायेगी जो मेरे द्वारा विलम्बतः 3 दिन के अन्दर संस्था का
शेष शुल्क रु0 संस्था में मेरे द्वारा जमा करा दिया जायेगा । उक्त धनराशि शुल्क
प्रतिपूर्ति से संस्था की उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रमाणित शुल्क 30150 रु0 के अनुसार ही पूरा कर
दिया जायेगा जिसमें प्रवेश शुल्क स्वयं जमा होने वाला शुल्क भी शामिल रहेगा । मैं यह भी
घोषणा करता / करती हूँ कि मैं यदि कोर्स बीच सत्र में छोड़ देता / देती हूँ या परीक्षा में
उपस्थित नहीं होता / होती हूँ तो संस्था का बकाया शुल्क स्वयं जमा करने के लिये वचनबद्ध
रहूँगा / रहूँगी । यदि मैं सरकार द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति का गलत प्रयोग व संस्था में जमा नहीं
करता / करती हूँ तो मेरे विरुद्ध वसूली व कानूनी कार्यवाही के लिये संस्था व संस्था प्रधानाचार्य
स्वतंत्र रहेंगे । मैंने यह घोषणा पत्र (परिशिष्ट – 5) अच्छी तरह से पढ़ लिया है और स्व-
हस्ताक्षर किया है ।

छात्र/छात्रा का नाम

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का मोबाईल न0 –

छात्र / छात्रा का अगूठा निशान

दिनांक –

Counter Sign by Principal

घोषणा पत्र (छात्र / छात्रा द्वारा)

मैंपुत्र/पुत्री श्री.....निवासी
.....का हूँ मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैंने श्री
मोती स्मृति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पॉलिटैक्निक/आई0 टी0 आई0 की
...शाखा में प्रवेश लिया है प्रवेश शुल्क संस्था द्वारारु0 प्रतिवर्ष जमा किया जा
रहा है (जिसे मुझे स्वयं जमा करना है) व राज्य सरकार व शासनादेश अनुसार उक्त धनराशि
शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में जब भी मेरे खाते में अन्वित की जायेगी जो मेरे द्वारा विलम्बतः 3 दिन
के अन्दर संस्था का शेष शुल्क रु0 संस्था में मेरे द्वारा जमा करा दिया जायेगा ।
उक्त धनराशि शुल्क प्रतिपूर्ति से संस्था की उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रमाणित शुल्क 30150 रु0 के
अनुसार ही पूरा कर दिया जायेगा जिसमें प्रवेश शुल्क स्वयं जमा होने वाला शुल्क भी शामिल
रहेगा । मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मैं यदि कोर्स बीच सत्र में छोड़ देता / देती
हूँ या परीक्षा में उपस्थित नहीं होता / होती हूँ तो संस्था का बकाया शुल्क स्वयं जमा करने के
लिये वचनबद्ध रहूँगा / रहूँगी । यदि मैं सरकार द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति का गलत प्रयोग व संस्था
में जमा नहीं करता / करती हूँ तो मेरे विरुद्ध वसूली व कानूनी कार्यवाही के लिये संस्था व
संस्था प्रधानाचार्य स्वतंत्र रहेंगे । मैंने यह घोषणा पत्र (परिशिष्ट – 5) अच्छी तरह से पढ़ लिया
है और स्व- हस्ताक्षर किया है ।

छात्र/छात्रा का नाम

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का मोबाईल न0 –

छात्र / छात्रा का अगुंठा निशान

दिनांक –

Counter Sign by Principal